न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,राजसमंद

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या : 40 / 2025

दायर दिनांक : 15.10.2025

निर्णय दिनांक : 29.05.2026

—: अनवान :—

1. श्री राजुलाल उर्फ राजु कुमावत पिता श्री भैरूलाल कुमावत, निवासी राकरावास, ग्राम पंचायत सकरावास, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्री भैरूलाल कुमावत पिता श्री लालुराम कुमावत, निवासी सकरावास, ग्राम पंचायत सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— निगराकारगण

बनाम

1. श्री लोभचन्द पिता श्री डुंगा अहिर, निवासी सकरावास, ग्राम पंचायत सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत सकरावास जरिये प्रशासक, ग्राम पंचायत सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. ग्राम पंचायत सकराहार सकराबास जरिये सचिव ग्राम पंचायत सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी विरूद्ध पट्टा क्रमांक 376, दिनांक 06/12/2024 ग्राम पंचायत सकरावास, पंचायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द

उपस्थितः—

1— श्री दिग्विजय सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी / निगराकार
2— श्री चावण्ड सिंह शक्तावत, अप्रार्थी / गैर निगराकार संख्या 01
3— अप्रार्थी / गैर निगराकार संख्या 2 व 03 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीधीन पट्टा अवैध, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 भू पट्टी के रूप में भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु पात्र नहीं होते हुए भी विपक्षी संख्या 02 व 03 द्वारा विपक्षी संख्या 01 से मिलीभगत करते हुए अवैध रूप से पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जारी कर दिया गया। जबकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अधिकारिता से अधिक भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी कर दिया गया एवं जब विपक्षीगण को उक्त अवैधता की जानकारी हुई तो विपक्षी संख्या 02 व 03 ने उक्त पट्टे के विरूद्ध एक निगरानी याचिका आप न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त निगरानी याचिका में ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि विपक्षी संख्या 01 लोभचन्द द्वारा ग्राम पंचायत को मिथ्या जानकारी दी गई और यह भी उल्लेख किया गया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भू पट्टी के माप के सम्बन्ध में तात्विक तथ्यों को छिपाकर

मिथ्या जानकारी दी गई। यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया परन्तु जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है, विपक्षी संख्या 01 एवं ग्राम पंचायत में मिलीभगत थी, इसलिए उस उक्त निगरानी याचिका में उक्त पट्टे को सम्पूर्ण निरस्त करवाने के बजाय केवल पट्टे की 60 वर्गफीट भू पट्टी का आवंटन निरस्त करने की ही प्रार्थना की गई और विपक्षी संख्या 01 ने भी उक्त निगरानी का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं मिलीभगत से उक्त निरागनी में केवल 60 वर्गफीट आवंटन को निरस्त करवाते हुए शेष 900 वर्गफीट आवंटन यथावत रखने का आदेश पारित करवा लिया। प्रार्थीगण को आप न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उक्त सम्पूर्ण पट्टा निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की जहाँ पर यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण आदेश की सत्य प्रति प्राप्त होने के 15 दिवस में आप न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत करें। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा आधिपत्य कई वर्षों से चला आ रहा है, और उक्त भूमि भू पट्टी के रूप में विक्रय किए जाने योग्य नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 से मिलीभगत करते हुए उक्त भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी कर दिया गया है। विवादित पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया जाना पट्टे में उल्लेखित है परन्तु विपक्षी संख्या 01 नियम 158 के तहत पट्टा जारी कराने की कोई पात्रता नहीं रखता है, विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पहले से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमकसुद रीति से पट्टा जारी कर दिया गया है, जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उसकी डी.एल.सी. रेट की कोई सूचना पत्रावली पर नहीं ली गई और मनमकसूद दर से पट्टा जारी कर दिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व वार्ड पंचों की न तो कोई कमेटी गठित की गई और न ही वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। जिन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना बताया जाता है, उनमें से जीतु व मीना द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया है कि उनके द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया गया और न ही ये निरीक्षण कमेटी के सदस्य रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी में तथ्य छुपाते हुए पट्टा जारी करवाना बताया गया है, फिर भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में शेष आंवटन को ग्राम पंचायत ने यथावत रखवाने की प्रार्थना क्यों की? इसका कोई स्पष्टीकरण उक्त निगरानी में नहीं दिया गया था। जब पट्टा मिथ्या तथ्यों के आधार पर जारी करवाया गया था तो ऐसा पट्टा सम्पूर्ण रूप से खारिज करवाया जाना चाहिए था जो खारिज नहीं करवाया गया है। नियम 158 के तहत पट्टा जारी करवाने हेतु विहीत प्रक्रिया की पालना किए बिना उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है, पट्टा जारी करने से पूर्व न तो विधिवत् आपत्ति आवहान पत्र जारी किया गया और न ही पटवारी से कोई रिपोर्ट ली गई और ना ही वार्ड पंचों की कोई कमेटी गठित की गई। प्रार्थीगण बार–बार वर्षों से विपक्षी ग्राम पंचायत सकरावास से अपने लंबे समय से कब्जे वाले भूखण्ड के लिए पट्टा जारी कराने की मांग करते रहे हैं. लेकिन उन्हें लगातार केवल आश्वासन ही दिया गया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, अभ्यावेदन की प्रतियाँ संलग्न हैं। विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 व 03 से मिलीभगत करके अवैध रूप से वादग्रस्त भूखण्ड का अपने नाम पर पट्टा संख्या 376 दिनांक 06.12.2024 जारी करवा लिया है। विपक्षी संख्या 01 लोभचन्द ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उक्त भूमि पर पट्टा प्राप्त किया था। इस संबंध में, यह भी प्रासंगिक है कि वार्ड पंच मीना बाई और जीतू गमेती ने 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा पट्टा उन्हें निरीक्षण समिति का सदस्य दिखाते हुए जारी किया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि वे ऐसी निरीक्षण समिति के सदस्य नहीं हैं और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण किया गया है। इसलिए उनके द्वारा दिया गया विवरण पूरी तरह से गलत है और वे इससे इनकार कर रहे हैं। उक्त पट्टा जारी होना न केवल अवैध था, बल्कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह के

अनुसार, वे केवल 100 वर्ग गज (900 वर्ग फुट) तक की भूमि आवंटित करने के लिए अधिकृत थे। हालाँकि, जारी किया गया पट्टा 960 वर्ग फुट का था, जो 60 वर्ग फुट का अतिरिक्त आवंटन था। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका विपक्षी संख्या 01 लोभचन्द की मिलीभगत से ग्राम पंचायत द्वारा अपने पक्ष में अवैध पट्टा जारी करने को उचित ठहराने के लिए दायर की गई थी, जबकि यह निर्विवाद तथ्य है उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है और इसे प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूखण्ड का आवंटन किया ही नहीं जा सकता है. इसलिए, प्रार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना ग्राम पंचायत द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण याचिका पूर्णतः अवैध और कानून के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है और उक्त स्थिति तथा कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार लोभचन्द के नाम जारी किया गया पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है और प्रार्थीगण को संबंधित भूमि पर नियमितीकरण का हकदार बनाता है, क्योंकि उनका कब्जा है और वे पट्टा आवंटन के हकदार हैं। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी आलोच्य पट्टा संख्या 376 दिनांक 06/12/2024 खारिज करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री चावण्ड सिंह शक्तावत उपस्थित एव अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि निगरानीकारण ने केवल मात्र विधिक शब्दो का प्रयोग किया है। सम्पूर्ण निगरानी में तात्विक एवं सच्चे तथ्यों को छिपाकर निगरानी प्रस्तुत की गई जिससे निगरानी ही निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार ने अनिगरानीकार सं. 1 एक के विरूद्ध न्यायालय को प्रिज्यूडाईस काज करते हुऐ मिलीभगत करते हुऐ पट्टा जारी करने के आरोप लगाये है। यदि अनिगरानीकार सं. 2 व 3 की ओर से पूर्व में अनिगरानीकार सं. 1 एक के विरूद्ध प्रकरण सं. 21/2025 बअनवान गाम पंचायत सकरावास बनाम लोभचन्द निर्णय दिनांक 27/05/2025 के बारे में निगरानी प्रस्तुत क्यो की जाती एवं 60 फिट भूमि जो ग्राम पंचायत के आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर थी उस 60 फिट भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायालय आप द्वारा 60 फिट आवंटन को निरस्त करवाया जाकर शेष 900 फिट आवंटन यथावत् रखते हुऐ नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। प्रश्नगत भूमि कभी भी प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में नही रही तथा आज भी नही है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा कभी नही था और आज भी नहीं है। तथा निगरानीकारगण द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में किसी प्रकार के कोई फोटोग्राफ अथवा कोई लोक दस्तावेज प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निगरानी याचिका में शेष 900 फिट का आवंटन क्षेत्राधिकारिता का होने व विधि अनुरूप होने से पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी में 900 फिट वैध आवंटन होने से आवंटन यथावत् रखने की प्रार्थना की गई। निगरानी में जवाब प्रस्तुत करने की कोई प्रावधान विधि में वर्णित नहीं है तथा न ही ऐसी कोई बाध्यता ही है। निगरानीकारगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका प्रस्तुत की गई हो उसकी पूर्व में कोई जानकारी अनिगरानीकार सं. 1 एक को नही थी। परन्तु इस निगरानी याचिका के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के

P.T.O.

प्रति अनिगरानीकार सं. 1 एक को दी गई तब जानकारी में आया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान करवाया गया। मौके पर निगरानीकारगण का कभी कोई कब्जा आधिपत्य नही रहा व आज भी नही है। परन्तु निगरानीकारगण का कोई कब्जा नही होने से कब्जे संबंधित ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। निगरानीकारण की ओर से पुनः मिलीभगत व विधि विरूद्ध पट्टा जारी होने के निराधार आरोप लगाये है जिससे बार बार आरोप दोहराने से उनका बार बार पृथक से खण्डन करने की आवश्यकता नही रह जाती। अनिगरानीकार सं. 1 एक को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 158 के तहत पट्टा जारी किये जाने का अंकन पट्टे पर अवश्य है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अनिगरानीकार सं. 1 एक को जो पट्टा जारी किया गया वह राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 144 के तहत जारी किये जाने के प्रावधान है व इसी अनुरूप पटटा जारी हुआ। पट्टे की पट्टा बुक प्रिन्टेड फोर्म में रहती है जिससे समस्त पट्टा बुक में इसी प्रकार का नियम 158 का अंकन है। एवं नियम 144 के तहत पट्टा में प्रिन्टेड अंकन नही होने के कारण नियम 144 का हवाला पट्टो में नहीं है। वैसे भी ग्राम पंचायत को उच्च स्तरीय विधिक ज्ञान की अपेक्षा नही की जा सकती। अनिगरानीकार को जो पटटा जारी हुआ उसकी कार्यवाही का हवाला मिसल में स्पष्ट रूपेण दिया गया है। तथा देखा जावे तो न्यायालय में यदि कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है तो वह किस प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया। अनिगरानीकार सं. 1 एक ने अपने आवेदन पत्र में डिएलसी रेट के अनुसार नियमानुसार राशि जमा कराई जाकर भूपट्टी का आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया एवं ग्राम पंचायत उसी अनुसरण में 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये जमा कराने का आदेश दिया गया व उसी की पालना में अनिगरानीकार सं. 1 एक के द्वारा राशि जमा कराई गई। वार्डपंच मीना द्वारा अनिगरानीकार सं. 1 एक से व्यक्तिगत रंजिश हो जाने के कारण मिथ्या शपथ पत्र दिया गया। जबकि मौका निरिक्षण रिपोर्ट में किये गये हस्ताक्षर का व तस्दीक किये गये शपथ पत्र में किये गये हस्ताक्षरो का प्रथम दृष्ट्या मिलान किये जाने के प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 के तहत न्यायालय आप द्वारा मिलान कर सही निष्कर्ष प्रदान कराया जा सकता है। जहां तक कमेटी के सदस्य जीतु के शपथ पत्र का प्रश्न है उसने अनिगरानीकार सं. 1 एक के समर्थन में वास्तविक तथ्यों का प्रकटीकरण पृथक से कर रहा है। जहां तक कि किसी दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित मौखिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94, 95 में अपवर्जित होने से ऐसी विपरित साक्ष्य लोक दस्तावेज के विरूद्ध विधि में अमान्य है। अनिगरानीकार सं. 1 एक को विधि पूर्वक पट्टा जारी हुआ जो वैध है। जितु व मीना दोनो ही वार्डपंत्र होकर कमेटी के सदस्य रहे है। उन्होंने मौका रिपोर्ट अन्य कमेटी सदस्य के साथ मिलकर तैयार कराई गई। अब निगरानीकारगण की ओर से उन्हें अनुचित प्रभाव में लेकर उन्हें जीतकर मिथ्या शपथ पत्र दिलाये गये है। प्रार्थना निगरानीकारगण मिथ्या होकर अस्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय निरस्त फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 भू पट्टी के रूप में भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु पात्र नहीं होते हुए भी विपक्षी संख्या 02 व

03 द्वारा विपक्षी संख्या 01 से मिलीभगत करते हुए अवैध रूप से पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जारी कर दिया गया। जबकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अधिकारिता से अधिक भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी कर दिया गया एवं जब विपक्षीगण को उक्त अवैधता की जानकारी हुई तो विपक्षी संख्या 02 व 03 ने उक्त पट्टे के विरूद्ध एक निगरानी याचिका आप न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त निगरानी याचिका में ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि विपक्षी संख्या 01 लोभचन्द द्वारा ग्राम पंचायत को मिथ्या जानकारी दी गई और यह भी उल्लेख किया गया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भू पट्टी के माप के सम्बन्ध में तात्विक तथ्यों को छिपाकर मिथ्या जानकारी दी गई। यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया परन्तु जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है, विपक्षी संख्या 01 एवं ग्राम पंचायत में मिलीभगत थी, इसलिए उस उक्त निगरानी याचिका में उक्त पट्टे को सम्पूर्ण निरस्त करवाने के बजाय केवल पट्टे की 60 वर्गफीट भू पट्टी का आवंटन निरस्त करने की ही प्रार्थना की गई और विपक्षी संख्या 01 ने भी उक्त निगरानी का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं मिलीभगत से उक्त निरागनी में केवल 60 वर्गफीट आवंटन को निरस्त करवाते हुए शेष 900 वर्गफीट आवंटन यथावत रखने का आदेश पारित करवा लिया। प्रार्थीगण को आप न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उक्त सम्पूर्ण पट्टा निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की जहाँ पर यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण आदेश की सत्य प्रति प्राप्त होने के 15 दिवस में आप न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत करें। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा आधिपत्य कई वर्षों से चला आ रहा है, और उक्त भूमि भू पट्टी के रूप में विक्रय किए जाने योग्य नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 से मिलीभगत करते हुए उक्त भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी कर दिया गया है। विवादित पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया जाना पट्टे में उल्लेखित है परन्तु विपक्षी संख्या 01 नियम 158 के तहत पट्टा जारी कराने की कोई पात्रता नहीं रखता है, विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पहले से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमकसुद रीति से पट्टा जारी कर दिया गया है, जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उसकी डी.एल.सी. रेट की कोई सूचना पत्रावली पर नहीं ली गई और मनमकसूद दर से पट्टा जारी कर दिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व वार्ड पंचों की न तो कोई कमेटी गठित की गई और न ही वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। जिन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना बताया जाता है, उनमें से जीतु व मीना द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया है कि उनके द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया गया और न ही ये निरीक्षण कमेटी के सदस्य रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी में तथ्य छुपाते हुए पट्टा जारी करवाना बताया गया है, फिर भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में शेष आंवटन को ग्राम पंचायत ने यथावत रखवाने की प्रार्थना क्यों की? इसका कोई स्पष्टीकरण उक्त निगरानी में नहीं दिया गया था। जब पट्टा मिथ्या तथ्यों के आधार पर जारी करवाया गया था तो ऐसा पट्टा सम्पूर्ण रूप से खारिज करवाया जाना चाहिए था जो खारिज नहीं करवाया गया है। नियम 158 के तहत पट्टा जारी करवाने हेतु विहीत प्रक्रिया की पालना किए बिना उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है, पट्टा जारी करने से पूर्व न तो विधिवत् आपत्ति आवहान पत्र जारी किया गया और न ही पटवारी से कोई रिपोर्ट ली गई और ना ही वार्ड पंचों की कोई कमेटी गठित की गई। प्रार्थीगण बार–बार वर्षों से विपक्षी ग्राम पंचायत सकरावास से अपने लंबे समय से कब्जे वाले भूखण्ड के लिए पट्टा जारी कराने की मांग करते रहे हैं. लेकिन उन्हें लगातार केवल आश्वासन ही दिया गया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, अभ्यावेदन की प्रतियाँ संलग्न हैं। विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 व 03 से मिलीभगत करके अवैध रूप से

वादग्रस्त भूखण्ड का अपने नाम पर पट्टा संख्या 376 दिनांक 06.12.2024 जारी करवा लिया है। विपक्षी संख्या 01 लोभचन्द ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उक्त भूमि पर पट्टा प्राप्त किया था। इस संबंध में, यह भी प्रासंगिक है कि वार्ड पंच मीना बाई और जीतू गमेती ने 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा पट्टा उन्हें निरीक्षण समिति का सदस्य दिखाते हुए जारी किया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि वे ऐसी निरीक्षण समिति के सदस्य नहीं हैं और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण किया गया है। इसलिए उनके द्वारा दिया गया विवरण पूरी तरह से गलत है और वे इससे इनकार कर रहे हैं। उक्त पट्टा जारी होना न केवल अवैध था, बल्कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह के रोशनलाल अनुसार, वे केवल 100 वर्ग गज (900 वर्ग फुट) तक की भूमि आवंटित करने के लिए अधिकृत थे। हालाँकि, जारी किया गया पट्टा 960 वर्ग फुट का था, जो 60 वर्ग फुट का अतिरिक्त आवंटन था। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका विपक्षी संख्या 01 लोभचन्द की मिलीभगत से ग्राम पंचायत द्वारा अपने पक्ष में अवैध पट्टा जारी करने को उचित ठहराने के लिए दायर की गई थी, जबकि यह निर्विवाद तथ्य है उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है और इसे प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूखण्ड का आवंटन किया ही नहीं जा सकता है. इसलिए, प्रार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना ग्राम पंचायत द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण याचिका पूर्णतः अवैध और कानून के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है और उक्त स्थिति तथा कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार भगवान लाल के नाम जारी किया गया पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है और प्रार्थीगण को संबंधित भूमि पर नियमितीकरण का हकदार बनाता है, क्योंकि उनका कब्जा है और वे पट्टा आवंटन के हकदार हैं। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जारी आलोच्य पट्टा संख्या 376 दिनांक 06/12/2024 खारिज करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अनिगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकार ने अनिगरानीकार सं. 1 एक के विरूद्ध न्यायालय को प्रिज्यूडाईस काज करते हुऐ मिलीभगत करते हुऐ पट्टा जारी करने के आरोप लगाये है। यदि अनिगरानीकार सं. 2 व 3 की ओर से पूर्व में अनिगरानीकार सं. 1 एक के विरूद्ध प्रकरण सं. 21/2025 बअनवान गाम पंचायत सकरावास बनाम लोभचन्द निर्णय दिनांक 27/05/2025 के बारे में निगरानी प्रस्तुत क्यो की जाती एवं 60 फिट भूमि जो ग्राम पंचायत के आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर थी उस 60 फिट भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायालय आप द्वारा 60 फिट आवंटन को निरस्त करवाया जाकर शेष 900 फिट आवंटन यथावत् रखते हुऐ नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। प्रश्नगत भूमि कभी भी प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में नही रही तथा आज भी नही है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा कभी नही था और आज भी नहीं है। तथा निगरानीकारगण द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में किसी प्रकार के कोई फोटोग्राफ अथवा कोई लोक दस्तावेज प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये गये है। निगरानी याचिका में शेष 900 फिट का आवंटन क्षेत्राधिकारिता का होने व विधि अनुरूप होने से पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी में 900 फिट वैध आवंटन होने से आवंटन यथावत् रखने की प्रार्थना की गई। निगरानी में जवाब प्रस्तुत करने की कोई प्रावधान विधि में वर्णित नहीं है तथा न ही ऐसी कोई बाध्यता ही है। निगरानीकारगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका प्रस्तुत की गई हो उसकी पूर्व में कोई जानकारी अनिगरानीकार सं. 1 एक को नही थी। परन्तु इस निगरानी

याचिका के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति अनिगरानीकार सं. 1 एक को दी गई तब जानकारी में आया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान करवाया गया। मौके पर निगरानीकारगण का कभी कोई कब्जा आधिपत्य नही रहा व आज भी नही है। परन्तु निगरानीकारगण का कोई कब्जा नही होने से कब्जे संबंधित ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। निगरानीकारण की ओर से पुनः मिलीभगत व विधि विरूद्ध पट्टा जारी होने के निराधार आरोप लगाये है जिससे बार बार आरोप दोहराने से उनका बार बार पृथक से खण्डन करने की आवश्यकता नही रह जाती। अनिगरानीकार सं. 1 एक को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 158 के तहत पट्टा जारी किये जाने का अंकन पट्टे पर अवश्य है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अनिगरानीकार सं. 1 एक को जो पट्टा जारी किया गया वह राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 144 के तहत जारी किये जाने के प्रावधान है व इसी अनुरूप पटटा जारी हुआ। पट्टे की पट्टा बुक प्रिन्टेड फोर्म में रहती है जिससे समस्त पट्टा बुक में इसी प्रकार का नियम 158 का अंकन है। एवं नियम 144 के तहत पट्टा में प्रिन्टेड अंकन नही होने के कारण नियम 144 का हवाला पट्टो में नहीं है। वैसे भी ग्राम पंचायत को उच्च स्तरीय विधिक ज्ञान की अपेक्षा नही की जा सकती। अनिगरानीकार को जो पटटा जारी हुआ उसकी कार्यवाही का हवाला मिसल में स्पष्ट रूपेण दिया गया है। तथा देखा जावे तो न्यायालय में यदि कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है तो वह किस प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया। अनिगरानीकार सं. 1 एक ने अपने आवेदन पत्र में डिएलसी रेट के अनुसार नियमानुसार राशि जमा कराई जाकर भूपट्टी का आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया एवं ग्राम पंचायत उसी अनुसरण में 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये जमा कराने का आदेश दिया गया व उसी की पालना में अनिगरानीकार सं. 1 एक के द्वारा राशि जमा कराई गई। वार्डपंच मीना द्वारा अनिगरानीकार सं. 1 एक से व्यक्तिगत रंजिश हो जाने के कारण मिथ्या शपथ पत्र दिया गया। जबकि मौका निरिक्षण रिपोर्ट में किये गये हस्ताक्षर का व तस्दीक किये गये शपथ पत्र में किये गये हस्ताक्षरो का प्रथम दृष्ट्या मिलान किये जाने के प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 के तहत न्यायालय आप द्वारा मिलान कर सही निष्कर्ष प्रदान कराया जा सकता है। जहां तक कमेटी के सदस्य जीतु के शपथ पत्र का प्रश्न है उसने अनिगरानीकार सं. 1 एक के समर्थन में वास्तविक तथ्यों का प्रकटीकरण पृथक से कर रहा है। जहां तक कि किसी दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित मौखिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94, 95 में अपवर्जित होने से ऐसी विपरित साक्ष्य लोक दस्तावेज के विरूद्ध विधि में अमान्य है। अनिगरानीकार सं. 1 एक को विधि पूर्वक पट्टा जारी हुआ जो वैध है। जितु व मीना दोनो ही वार्डपंच होकर कमेटी के सदस्य रहे है। उन्होंने मौका रिपोर्ट अन्य कमेटी सदस्य के साथ मिलकर तैयार कराई गई। अब निगरानीकारगण की ओर से उन्हें अनुचित प्रभाव में लेकर उन्हें जीतकर मिथ्या शपथ पत्र दिलाये गये है। प्रार्थना निगरानीकारगण मिथ्या होकर अस्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय निरस्त फरमाई जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी श्री लोभचन्द द्वारा आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत सकरावास को दिनांक 04.12.2024 प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र अनुसार प्रार्थी द्वारा भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया। आवेदन पत्र के साथ नोटेरीशुदा शपथ पत्र लगा हुआ है उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। जो नजरी नक्शा का प्रपत्र इसमें लगाया गया है उस पर सरपंच के हस्ताक्षर भी नही है और पदेन सचिव के भी कोई हस्ताक्षर नहीं है इस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है परन्तु भूखण्ड का क्षेत्रफल 960 वर्गफीट अंकित किया गया है। एक निरीक्षण पत्र पत्रावली में लगा होना पाया गया है इस निरीक्षण प्रपत्र में भी कोई क्षेत्रफल अंकित नहीं है। भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया में जो आपत्ति आव्हान पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उस पर पंचायत की मोहर नहीं है। कोई भी दिनांक अंकित नहीं है। तो इससे यह साबित नहीं होता है कि यह आपत्ति कब आमंत्रित की गयी है। पत्रावली निर्णय प्रपत्र भी संलग्न नहीं है पत्रावली में संलग्न आज्ञाओ की सूची के अनुसार दिनांक 28.08.2024 को ही पत्रावली मिसल दायर की गई। एवं आज्ञाओ की सूची के अनुसार अंकित कार्यवाही विवरण में नियमो का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इससे साबित होता है प्रार्थी के आवेदन से पूर्व ही ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दायर कार्यवाही कर दी गई।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 के तहत आबादी भूमि का रियायती दर पर जारी किया गया है जबकि यह एक भू पट्टी है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 के तहत भू पट्टी का पट्टा दिया गया है। जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 144 के तहत भू पट्टी का आवंटन किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में की गयी अनियमितताओं को देखते हुए यह प्रमाणित होता है कि पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 376 दिनांक 06.12.2024 को निरस्त किया जाता है।

नरेश 29/05/2026

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 29.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नरेश 29/05/2026

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द